ACCESSIBLE INDIA
EMPOWERED INDIA

सुगम्य भारत सशक्त भारत

Accessible India Campaign

DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT, GOVERNMENT OF INDIA

Contents

Pg. 1 **Introduction**
परिचय

Pg. 5 **Accessible India Campaign**
सुगम्य भारत अभियान

Pg. 7 **Built Environment Accessibility**
निर्मित वातावरण सुगम्यता

Enhancing the proportion of accessible government buildings
सरकारी भवनों में सुगम्यता अनुपात में वृद्धि

Pg. 11 **Transportation System Accessibility**
परिवहन प्रणाली सुगम्यता

Enhancing proportion of accessible airports
हवाई अडडों के सुगम्यता अनुपात में वृद्धि

Enhancing the proportion of accessible railway stations
रेलवे स्टेशनों के सुगम्यता अनुपात में वृद्धि

Enhancing the proportion of accessible Public Transport
सार्वजनिक परिवहन के सुगम्यता अनुपात में वृद्धि

Pg. 15 **Information and Communication Eco-System Accessibility**
सूचना और संचार ईको प्रणाली सुगम्यता

Enhancing proportion of accessible and usable public documents and websites that meet internationally recognized accessibility standards
सुगम्य और प्रयोग योग्य सार्वजनिक दस्तावेज और वैबसाईट जो अंतराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सुगम्यता मानकों को पूरा करती हैं, की सुगम्यता अनुपात में वृद्धि

Enhancing the pool of sign language interpreters
संकेत भाषा द्विभाषियों के पूल को बढ़ाना

Enhancing the proportion of daily captioning and sign-language interpretation of public television news programmes
सार्वजनिक टेलिविजन समाचार कार्यक्रमों की दैनिक कैप्शनिंग और संकेत भाषा व्याख्या के अनुपात को बढ़ाना।

Introduction

1

India is a signatory to the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD). Article 9 of UNCRPD casts an obligation on all the signatory governments to take appropriate measures to ensure to persons with disabilities access, on an equal basis with others, to the physical environment, to transportation, to information and communications, including information and communications technologies and systems, and to other facilities and services open or provided to the public, both in urban and in rural areas. These measures, which shall include the identification and elimination of obstacles and barriers to accessibility, shall apply to, inter-alia:

Buildings, roads, transportation and other indoor and outdoor facilities, including schools, housing, medical facilities and workplaces;

Information, communications and other services, including electronic services and emergency services.

2

The Convention also mandates that all the Governments shall also take appropriate measures:

To develop, promulgate and monitor the implementation of minimum standards and guidelines for the accessibility of facilities and services open or provided to the public;

To ensure that private entities that offer facilities and services which are open or provided to the public take into account all aspects of accessibility for persons with disabilities;

To provide training for stakeholders on accessibility issues facing persons with disabilities;

To provide in buildings and other facilities open to the public signage in Braille and in easy to read and understand forms;

To provide forms of live assistance and intermediaries, including guidelines, readers and professional sign language interpreters, to facilitate accessibility to buildings and other facilities open to the public;

To promote other appropriate forms of assistance and support to persons with disabilities to ensure their access to information;

To promote access for persons with disabilities to new information and communications technologies and systems, including the Internet;

3

Governments at the High Level Inter Governmental Meeting organized by the Govt. of Republic of Korea adopted the ministerial declaration and Incheon Strategy to "Make the Right Real" for PwDs in Asia and Pacific. The Incheon Strategy provides the Asian and Pacific Region, and the world the first set of regionally agreed distinct – inclusive development goals.

The Strategy comprises 10 goals, 27 targets and 62 indicators, which build on UNCRPD. Goal No. 3 of the Incheon Strategy mentions that access to the physical environment, public transportation, knowledge, information and communication is a precondition for persons with disabilities to fulfill their rights in an inclusive society.

The accessibility of urban, rural and remote areas based on universal design increases safety and ease of use not only for persons with disabilities, but also for all other members of society. Access audits are an important means of ensuring accessibility and must cover all stages of the process of planning, design, construction, maintenance and monitoring and evaluation. Access to assistive devices and related support services is also a precondition for persons with disabilities to optimize their level of independence in daily life and live in dignity. Ensuring the availability of assistive devices for those living in low-resource settings involves encouraging research, development, production, distribution and maintenance.

4

Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 under Sections 44, 45 and 46 categorically provides for non-discrimination in transport, non-discrimination on the road and non-discrimination in built environment respectively. As per Section 46 of the PwD Act, the States are required to provide for –

Ramps in public buildings;

Adaptation of toilets for wheel chair users;

Braille symbols and auditory signals in elevators or lifts;

Ramps in hospitals, primary health centres and other medical care and rehabilitation institutions

5

Section 44 and 45 of the said Act cast responsibility on the States to take measures to make public transport accessible for PwDs and also make provision for auditory signals at red lights in public roads, curb cuts and slops in pavements, engraving on the surface at zebra crossings etc.

परिचय

1

भारत, विकलांग व्यक्ति अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 9, सभी हस्ताक्षकर्ता सरकारों को, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी और प्रणाली, और लोगों को अन्य सुविधाएं तथा सेवाएं प्रदान करने सहित, विकलांग व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों की तरह ही समान आधार पर, भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना तथा संचार में समुचित उपाय सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपता है। ये उपाय जिनमें, सुगम्यता हेतु, अवरोधों और बाधाओं की पहचान एवं उन्मूलन शामिल हैं, अन्य बातों के साथ–साथ निम्न पर लागू होंगे –

(क) स्कूलों, आवासों, चिकित्सा सुविधाओं तथा कार्य स्थलों सहित, भवनों, सड़को, परिवहन और अन्य आंतरिक तथा बाहरी सुविधाएं;

(ख) इलेक्ट्रॉनिक्स सेवाओं तथा आकस्मिक सेवाओं सहित, सूचना, संचार तथा अन्य सेवाएं

2

कन्वेंशन द्वारा सभी सरकारों को निम्न समुचित उपाय करने का अधिदेश भी प्रदान किया गया है।

(क) सार्वजनिक रुप से उपलब्ध सेवाएं को प्रदान करने के लिए सुविधाओं तक पहुंच हेतु, न्यूनतम मानक दिषा निर्देषों के कार्यान्वयन को विकसित, प्रचारित और मॉनिटर करना;

(ख) निजी संगठन जो सार्वजनिक रुप से सुविधाएं तथा सेवाएं प्रदान कराते हैं, विकलांग व्यक्तियों हेतु सुगम्यता के सभी पहलुओं को सुनिश्चित करवाना;

(ग) विकलांग व्यक्तियों द्वारा, सामना किये जा रहे सुगम्यता मुद्दों पर स्टेकहोल्डर्स को प्रशिक्षण प्रदान करना;

(घ) भवनों में, सार्वजनिक रुप से उपलब्ध अन्य सुविधाएं–ब्रेल में और आसानी से पढ़ने और समझने के रुप में संकेतक उपलब्ध कराना।

(ड.) भवनों में सुगम्यता और सार्वजनिक रुप से अन्य सुविधाओं को सुसाधक बनाने के लिए, दिशा निर्देष, रीडर्स तथा पेशेवर संकेत भाषा र्दुभाषियों सहित, प्रत्यक्ष और मध्यवर्ती सहायता प्रकार उपलब्ध कराना;

(च) सहायता के अन्य समुचित प्रकारों का संवर्धन और विकलांग व्यक्तियों को सूचना तक पहुंच सुनिश्चित कराने में सहायता प्रदान करना;

(छ) इन्टरनेट सहित, विकलांग व्यक्तियों को नई जानकारी तथा संचार प्रौद्योगिकियों और प्रणाली तक पहुंच का संवर्धन करना;

3

सरकार द्वारा रिपब्लिक ऑफ कोरिया सरकार द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय अंतर–सरकारी बैठक में मंत्रालयी उद्घोषणा और एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों हेतु ''अधिकारों को साकार करना'' हेतु, इंचियोन कार्यनीति को अपनाया गया। इंचियोन कार्यनीति में एषिया तथा प्रशांत क्षेत्र और विश्व में क्षेत्रीय आधार पर सहमत समावेशी विकास लक्ष्यों का प्रावधान है। कार्यनीति में 10 उद्देष्य, 27 लक्ष्य और 62, संकेतक है, जो यूएनसीआरपीडी को निर्मित करते हैं, निहित हैं। इंचियोन कार्यनीति के उदेष्य संख्या 3 में यह उल्लिखित है कि भौतिक वातावरण, सार्वजनिक परिवहन, ज्ञान, सूचना और संचार, एक समावेशी समाज में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को पूरा करने के लिए एक पूर्व निर्धारित शर्त है। शहरी, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सुगम्यता सार्वभौमिक डिजाइन पर आधारित होती है जो न केवल विकलांग व्यक्तियों हेतु प्रयोग में, सुरक्षा तथा सुगम्यता को बढ़ाती है बल्कि, समाज के अन्य सदस्यों के लिए भी ऐसा करती है। सुगम्यता प्रशिक्षण, सुगम्यता को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है और आयोजना, डिजाइन, निर्माण अनुरक्षण तथा निगरानी और मूल्याकंन, प्रक्रिया के सभी चरणों को इसे कवर करना चाहिए। सहायक उपकरणों तथा संबंधित सहायता सेवाओं तक पहुंच भी विकलांग व्यक्तियों हेतु एक पूर्व निर्धारित शर्त है जो उन्हें दैनिक जीवन में स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीने में सक्षम बनाती है। वे विकलांग व्यक्ति, जो अल्प संसाधन परिवेश में जी रहे हैं, को सहायक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में अनुसंधान, विकास, उत्पादन, संवितरण और अनुरक्षण शामिल हैं।

4

विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की ध ाारा 44, 45 ,46 में क्रमशः परिवहन में भेदभाव न किए जाने, सड़कों पर भेदभाव न किए जाने और निर्मित वातावरण में भेदभाव न किए जाने का प्रावधान है।

विकलांग व्यक्ति अधिनियम की धारा 46 के अनुसार, सरकारों द्वारा निम्नलिखित प्रदान किया जाना अपेक्षित है–

(प) सार्वजनिक भवनों में रैंप्स

(पप) व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताओं हेतु टॉयलेटस का अनुकूलन

(पपप) ऐलिवेटर्स अथवा लिफ्टस में ब्रेल संकेतक तथा श्रव्य सिगनल्स

(पअ) अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अन्य चिकित्सा देखभाल तथा पुनर्वास संस्थानों में रैंप्स

5

उक्त अधिनियम की धारा 44 तथा 45, सरकारों को, विकलांग व्यक्तियों हेतु सार्वजनिक परिवहन को सुगम्य बनाने के उपाय करने तथा साथ ही, सार्वजनिक सड़कों पर रैड लाईट पर श्रवण संकेतों, फुटपाथों पर कर्व, कट्स तथा स्लोप्स बनाने, जैब्रा क्रॉसिंग की सतह को खुदरा बनाने आदि हेतु प्रावधान करने का दायित्व सौंपती है।

Accessible India Campaign

Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice & Empowerment has launched the Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan), as a nation-wide flagship campaign for achieving universal accessibility for Persons with Disabilities.

सुगम्य भारत अभियान

विकलांगजन सशक्तिरकण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों हेतु सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान सुगम्य भारत अभियान की शुरूआत की है।
सुगम्य भारत अभियान को लागू करते समय यह प्रस्ताव किया गया है कि हम इंच्योन कार्यनीति द्वारा स्थापित दिशा निर्देषों के साथ हैं। इंच्योन कार्यनीति के उद्देश्य 3(क), 3(ख) तथा 3(ग) नीचे दिए गए हैं–

While implementing the Accessible India Campaign, it is proposed that we are in sync with the guidelines set by the Incheon strategy. The targets 3.A, 3.B and 3.C of the Incheon Strategy are given below:

सुगम्य भारत अभियान को लागू करते समय यह प्रस्ताव किया गया है कि हम इंच्योन कार्यनीति द्वारा स्थापित दिशा निर्देशों के साथ हैं। इंच्योन कार्यनीति के उद्देश्य 3(क), 3(ख) तथा 3(ग) नीचे दिए गए हैं–

3.a
Increase the accessibility of the physical environment in the national capital that is open to the public.

राष्ट्रीय राजधानी में जो लोगों के लिए उन्मुक्त है, में भौतिक वातावरण में सुगम्यता को बढ़ाना।

3.b
Enhance the accessibility and usability of public transportation.

सार्वजनिक परिवहन की सुगम्यता तथा उपयोग में बढ़ोत्तरी

3.c
Enhance the accessibility and usability of information and communications services.

सूचना तथा संचार सेवाओं की सुगम्यता और उपयोग में बढ़ोत्तरी

The Incheon strategy guidelines have also defined indicators for tracking the progress on these targets.

इंचियोन कार्यनीति के दिशा निर्देषों में इन लक्ष्यों पर प्रगति का पता लगाने के लिए संकेतकों को भी परिभाषित किया गया है।

3.1

Proportion of accessible government buildings in the national capital

राष्ट्रीय राजधानी में सुगम्य सरकारी भवनों का अनुपात

3.2

Proportion of accessible international airports

सुगम्य अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का अनुपात

3.4

Proportion of accessible and usable public documents and websites that meet internationally recognized accessibility standards

सुगम्य और प्रयोग योग्य सार्वजनिक दस्तावेज तथा वैबसाईट जो अंतर्राष्ट्रीय सुगम्यता मानकों को पूरा करती हो

3.7

Availability of mandatory technical standards for barrier-free access that govern the approval of all designs for buildings that could be used by members of the public, taking into consideration internationally recognized standards, such as those of the International Organization for Standardization (ISO)

अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए बाधामुक्त पहुंच हेतु अनिवार्य तकनीकी मानकों की उपलब्धता जो सार्वजनिक व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले भवनों हेतु सभी डिजाईनों की मंजूरी को शासित करते हों।

3.8

Number of sign language interpreters

संकेत भाषा द्विभाषियों की संख्या

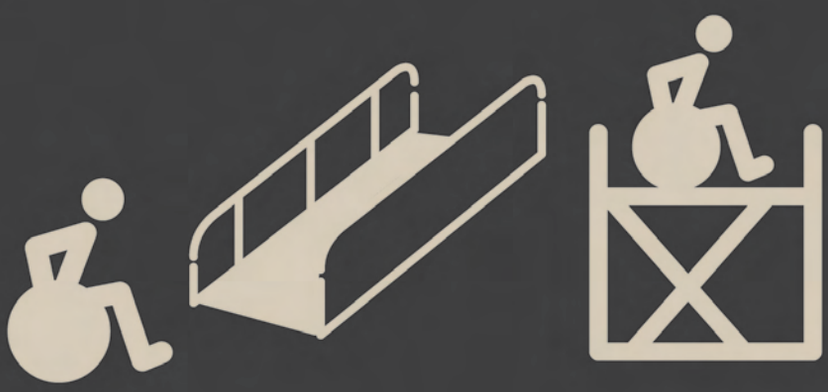

Built Environment Accessibility

निर्मित वातावरण सुगम्यता

In view of the above, it is proposed to have the following objectives and targets for the Accessible India Campaign:

An accessible physical environment benefits everyone, not just persons with disabilities. Measures should be undertaken to eliminate obstacles and barriers to indoor and outdoor facilities including schools, medical facilities, and workplaces. These would include not only buildings, but also footpaths, curb cuts, and obstacles that block the flow of pedestrian traffic.

सुगम्य भौतिक वातावरण केवल विकलांग व्यक्तियों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए फायदेमंद होता है। स्कूलों, चिकित्सा सुविधाओं तथा कार्यस्थलों सहित, आंतरिक तथा बाहरी सुविधाओं में रूकावटों तथा बाधाओं को दूर करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।

इनमें न केवल भवन शामिल हैं, बल्कि फुटपाथ, कर्व कट्स और वे अवरोध जो पैदल यातायात को रोकते हैं, भी शामिल हैं।

Objective 1

Enhancing the proportion of accessible government buildings

सरकारी भवनों में सुगम्यता अनुपात में वृद्धि

An accessible government building is one, where a person with disabilities has no barrier in entering it and using all the facilities therein.

This covers the built environment – services, steps and ramps, corridors, entry gates, emergency exits, parking – as well as indoor and outdoor facilities including lighting, signages, alarm systems and toilets.

Identifying accessible buildings requires annual accessibility audits that determine if a building meets agreed upon standards. Once a building is deemed fully accessible, an annual audit is not necessary, but should be required for any proposed changes to the structure or systems contained therein. A full audit can then be done on a less frequent basis. Standards of accessibility should be as consistent as possible with international standards, such as those of the ISO, taking into account the local context.

In regards to the built environment, ISO 21542:2011, Building Construction – Accessibility and Usability of the Built Environment, delineates a set of requirements and recommendations concerning construction, assembly, components and fittings.

एक सुगम्य सरकारी भवन वह होता है जहां एक विकलांग व्यक्ति बिना किसी बाधा के इसमें प्रवेश कर सके और इसमें उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल कर सके। इसमें निम्नलिखित निर्मित वातावरण शामिल है– सेवाएं, सीढ़ियां तथा रैंप्स, प्रवेश द्वार, आकस्मिक निकास, पार्किंग के साथ साथ लाईटिंग, साईनेजिस, अलार्म सिस्टम तथा प्रसाधन जैसी आतंरिक तथा बाह्य सुविधाएं।

सुगम्य भवनों की पहचान करने के लिए वार्षिक परीक्षण की आवश्यकता होती है जिससे यह निर्धारित किया जाता है कि भवन निर्धारित मानको को पूरा करता है। एक बार जब कोई भवन पूर्णतः सुगम्य मान लिया जाता है तो वार्षिक परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती किन्तु उसमें निहित ढांचे अथवा प्रणाली में किसी प्रस्तावित बदलाव के लिए इसकी आवश्यकता हो सकती है। कम अंतराल पर एक पूर्ण परीक्षण किया जा सकता है।

सुगम्यता के मानक, आईएसओ की तरह, स्थानीय परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय मानको के अनुरूप होने चाहिए। निर्मित वातावरण के संबंध में, आईएसओ 21542:2011, भवन निर्माण–सुगम्यता और निर्मित वातावरण का प्रयोग, आवश्यकताओं की एकरूपरेखा प्रस्तुत करना और निर्माण, बनाने, घटकों तथा फिटिंगस के बारे में सिफारिशें।

Target 1.1: *Conducting accessibility audit of at least 50 most important government buildings and converting them into fully accessible buildings by July 2016 in the following cities:*

Bengaluru	Vadodara
Chennai	Surat
Delhi	Nagpur
Hyderabad	Lucknow
Kolkata	Patna
Mumbai	Vishakhapatnam
Ahmedabad	Raipur
Pune	Gurgaon
Bhopal	Srinagar
Kanpur	Thiruvananthapuram
Coimbatore	Bhubaneswar
Indore	Chandigarh
Jaipur	Guwahati

Conducting accessibility audit of at least 25 most important government buildings and converting them into fully accessible buildings by July 2016 in the following cities:

Port Blair	Imphal
Itanagar	Shillong
Daman	Aizawl
Panaji	Kohima
Shimla	Pondicherry
Ranchi	Gangtok
Jhansi	Agartala
Nashik	Dehradun
Gandhinagar	Silvassa
Kavaratti	Ludhiana
	Faridabad
	Varanasi

लक्ष्यः– **(1.1)** निम्नलिखित शहरों में जुलाई 2016 तक कम से कम 50 अत्यंत महत्वपूर्ण सरकारी भवनों का सुगम्यता परीक्षण करना और उन्हें पूर्ण सुगम्य भवनों में बदलना–

– बंगलुरू	–सूरत
–चेन्नई	–नागपुर
–दिल्ली	–लखनऊ
–हैदराबाद	–पटना
–कोलकाता	–विशाखापटनम
–मुंबई	–रायपुर
–अहमदाबाद	–गुड़गांव
–पुणे	–श्रीनगर
–भोपाल	–तिरूवनंथपुरम
–कानपुर	–भुबनेश्वर
–कोयमबटूर	–चंडीगढ़
–इंदौर	–गुवाहाटी
–जयपुर	
–वडोदरा	

निम्नलिखित शहरों में जुलाई 2016 तक कम से कम 25 अत्यंत महत्वपूर्ण सरकारी भवनों का सुगम्यता परीक्षण करना और उन्हें पूर्ण सुगम्य भवनों में बदलना–

–पोर्ट ब्लेयर	–इंफाल
–ईटानगर	–शिलॉग
–दमन	–आइजोल
–पणजी	–कोहिमा
–शिमला	–पुदुचेरी
–रांची	–गंगटोक
–झांसी	–अगरतला
–नासिक	–देहरादून
–गांधीनगर	–सिलवासा
–कावारत्ती	–लुधियाना
	–फरीदाबाद
	–वाराणसी

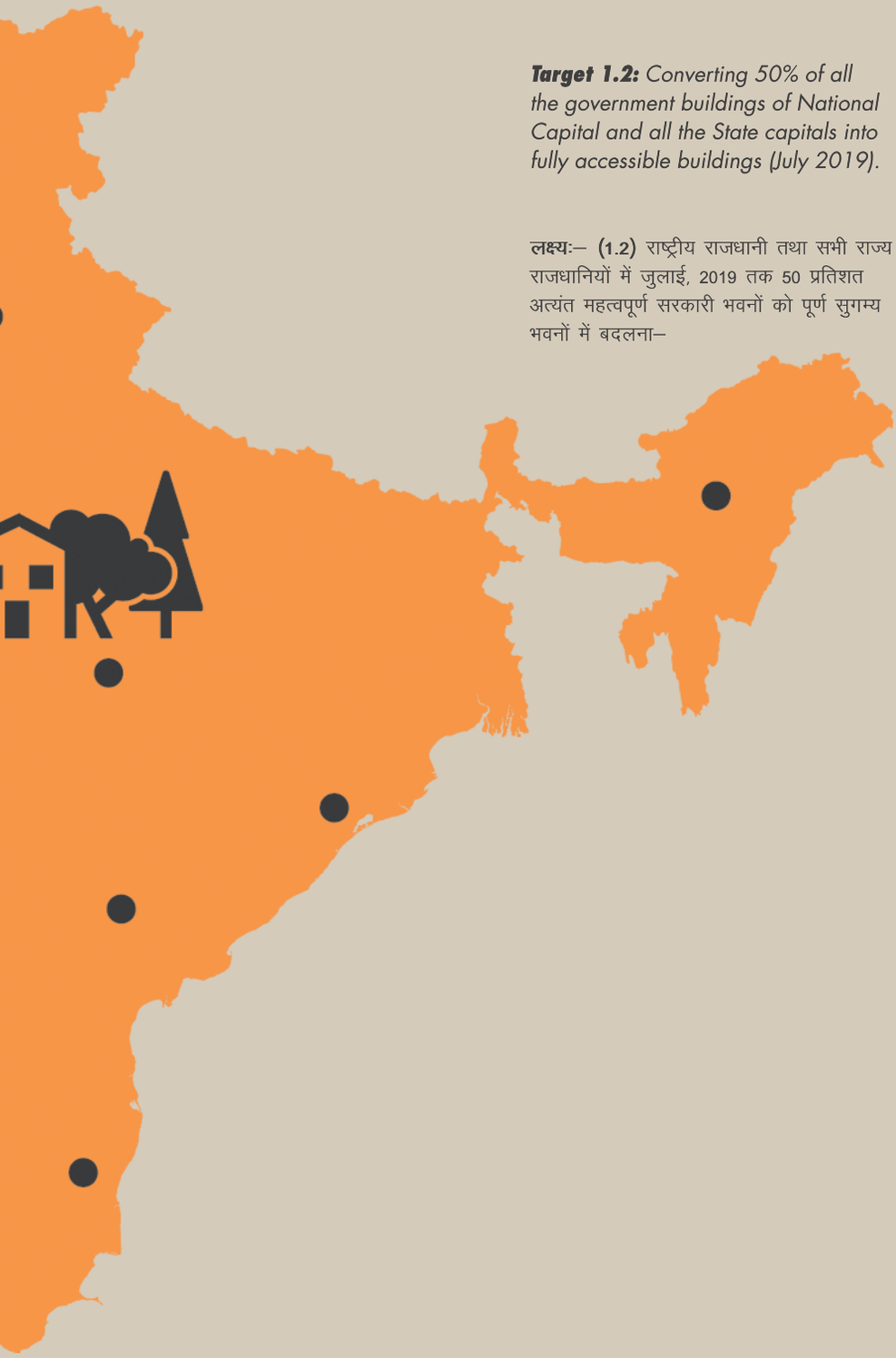

Target 1.2: *Converting 50% of all the government buildings of National Capital and all the State capitals into fully accessible buildings (July 2019).*

लक्ष्यः— (1.2) राष्ट्रीय राजधानी तथा सभी राज्य राजधानियों में जुलाई, 2019 तक 50 प्रतिशत अत्यंत महत्वपूर्ण सरकारी भवनों को पूर्ण सुगम्य भवनों में बदलना—

Target 1.3: *Conducting audit of 50% of government buildings and converting them into fully accessible buildings in 10 most important cities / towns of all the States (other than those, which are already covered in Target 1.1 and 1.2 above) (July 2022).*

लक्ष्यः— (1.3) 10 अत्यंत महत्वपूर्ण शहरों/सभी राज्यों के नगरों में (उनके अलावा जिन्हें पहले ही लक्ष्य 1.1 और 1.2 में कवर किया गया है) जुलाई 2022 तक 50 प्रतिशत अत्यंत महत्वपूर्ण सरकारी भवनों का सुगम्यता परीक्षण करना और उन्हें पूर्ण सुगम्य भवनों में बदलना—

Transportation System Accessibility

परिवहन प्रणाली सुगम्यता

Transportation is a vital component for independent living, and like others in society, PwDs rely on transportation facilities to move from one place to another. The term transportation covers a number of areas including air travel, buses, taxis, and trains.

स्वतंत्र जीवन यापन के लिए परिवहन एक महत्वपूर्ण घटक है और समाज में अन्य व्यक्तियों के समान ही, विकलांग व्यक्तियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए परिवहन सुविधाओं पर निर्भर रहना होता है। परिवहन में हवाई यात्रा, बस, टैक्सी तथा रेल आदि शामिल हैं।

Objective 2

Enhancing proportion of accessible airports

हवाई अडडों के सुगम्यता अनुपात में वृद्धि

An airport is accessible, if a person with a disability has no barrier in entering it, using all the facilities, and boarding and disembarking from airplanes. This covers the built environment – surfaces, steps and ramps, corridors, entry ways, emergency exists, parking – as well as indoor and outdoor facilities including lighting, signage, alarm systems and toilets.

किसी एयरपोर्ट को तभी सुगम्य माना जाता है जब कोई भी विकलांग व्यक्ति इसमें बिना किसी बाधा के प्रवेश कर सके और इसकी सभी सुविधाओं और बोर्डिंग तथा जहाज़ से उतरने जैसी सभी सुविधाओं का प्रयोग कर सके। इसमें निम्नलिखित निर्मित वातावरण शामिल है– सेवाएं, सीढ़ियाँ तथा रैंप्स, प्रवेष द्वार, आकस्मिक निकास, पार्किंग के साथ साथ लाईटिंग, साईनेजिस, अलार्म सिस्टम तथा प्रसाधन जैसी आंतरिक तथा बाह्य सुविधाएं।

Target 2.1: *Conducting accessibility audit of all the international airports and converting them into fully accessible international airports (July 2016).*

लक्ष्यः– 2.1 सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अडडों का सुगम्यता परीक्षण करना और उन्हें पूर्ण सुगम्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अडडों में परिवर्तित करना (जुलाई 2016)

Target 2.1: *Conducting accessibility audit of all the domestic airports and converting them into fully accessible airports (July 2019).*

लक्ष्यः– 2.2 सभी घरेलु हवाई अडडों का सुगम्यता परीक्षण करना और उन्हें पूर्ण सुगम्य राष्ट्रीय हवाई अडडों में परिवर्तित करना (जुलाई 2019)

Objective 3

Enhancing the proportion of accessible railway stations

रेलवे स्टेशनों के सुगम्यता अनुपात में वृद्धि

Target 3.1: *Ensuring that A1, A & B categories of railway stations in the country are converted into fully accessible railway stations (July 2016).*

Target 3.2: *Ensuring that 50% of railway stations in the country are converted into fully accessible railway stations (July 2019).*

लक्ष्यः— 3.1 देश में ए–1, ए तथा बी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों को पूर्णतः सुगम्य रेलवे स्टेशनों में परिवर्तित करना (जुलाई, 2016)

लक्ष्यः— 3.2 50 प्रतिशत रेलवे स्टेशनों को पूर्ण सुगम्य रेलवे स्टेशनों में परिवर्तित करना (जुलाई 2019)

Objective 4

Enhancing the proportion of accessible Public Transport

सार्वजनिक परिवहन के सुगम्यता अनुपात में वृद्धि

Target 4.1: *Ensuring that 25% of Government owned public transport carriers in the country are converted into fully accessible carriers (July 2019)*

लक्ष्यः— **4.1** 25 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाले सरकारी परिवहन वाहनों को पूर्ण सुगम्य वाहनों के रूप में परिवर्तित करना (जुलाई 2019)

Information and Communication Eco-System Accessibility

सूचना और संचार ईको प्रणाली सुगम्यता

Access to information creates opportunities for everyone in society. Access to information refers to all information. People use information in many forms to make decisions about their daily lives. This can range from actions such as being able to read price tags, to physically enter a hall, to participate in an event, to read a pamphlet with healthcare information, to understand a train timetable, or to view webpages. No longer should societal barriers of infrastructure, and inaccessible formats stand in the way of obtaining and utilizing information in daily life.

समाज में, जानकारी तक पहुंच प्रत्येक के लिए एक अवसर प्रदान करती है। जानकारी तक पहुंच से तात्पर्य सभी प्रकार की जानकारी से है।

लोग अपने दैनिक जीवन यापन के बारे में निर्णय लेने के लिए कई प्रकार से जानकारी का प्रयोग करते हैं। इनमें मूल्य सूची पढ़ना, हॉल में शारीरिक प्रवेश करना, किसी कार्यक्रम में भाग लेना, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी वाले पैम्फलेट को पढ़ना, रेल समय सारणी को समझना अथवा वैब पेज देखना शामिल है। आधारभूत संरचना में सामाजिक बाधाओं तथा दैनिक जीवन में जानकारी प्राप्त करने और उनका उपयोग करने में सुगम्यता का अभाव और अधिक नहीं रहना चाहिए।

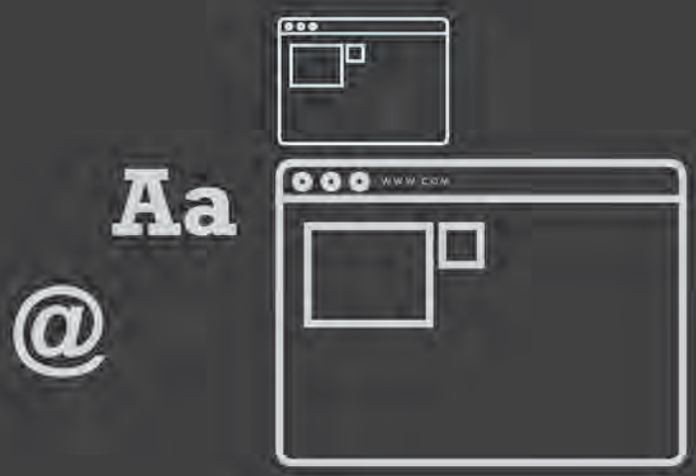

Objective 5

Enhancing proportion of accessible and usable public documents and websites that meet internationally recognized accessibility standards

सुगम्य और प्रयोग योग्य सार्वजनिक दस्तावेज और वैबसाईट जो अंतराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सुगम्यता मानकों को पूरा करती हैं, की सुगम्यता अनुपात में वृद्धि

This target will ensure conversion of public documents published as of a specified year and all current websites meeting the relevant International Organization for Standardization (ISO) criteria, that are found in ISO / IEC 40500: 2012, Information Technology – W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Public documents refer to all documents issued by the national government as well as all subnational documents. They include all publications such as laws, regulations, reports, forms and informational brochures.

Target 5.1: *Conducting accessibility audit of 50% of all government (both Central and State Governments) websites and converting them into fully accessible websites (July 2019).*

Target 5.2: *Ensuring that at least 50% of all public documents issued by the Central Government and the State Governments meet accessibility standards (July 2019).*

यह लक्ष्य किसी विषेश वर्श में प्रकाशित सार्वजनिक दस्तावेज के कनवर्जन और सभी वर्तमान वैबसाईट द्वारा अंतराष्ट्रीय मानक संगठन के संगत मानदण्डों को पूरा करने को सुनिश्चित करेगा जो आईएसओ / आईईसी 40500:2012, सूचना प्रौद्योगिकी–डब्ल्यू 3सी वैब सामग्री सुगम्यता दिशा निर्देष (डब्ल्यू सीएजी) 2.0 में पाए जाते हैं। सार्वजनिक दस्तावेज से तात्पर्य उप राष्ट्रीय दस्तावेज सहित, ऐसे दस्तावेज से है जो राष्ट्रीय सरकारों द्वारा जारी किए गए हों। इनमें विधि, विनियमन, रिपोर्ट्स, फॉर्म्स, तथा अंतराष्ट्रीय ब्रोशर्स जैसे सभी प्रकाशन शामिल हैं।

लक्ष्यः– 5.1 50 प्रतिशत सभी सरकारी (केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों) वैबसाईट का सुगम्यता परीक्षण करना और उन्हें पूर्ण सुगम्य वैबसाईट में परिवर्तित करना (जुलाई 2019)

लक्ष्यः– 5.2 केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए कम से कम 50 प्रतिशत सभी सार्वजनिक दस्तावेजों को सुगम्यता मानकों को पूरा करवाना सुनिश्चित करना। (जुलाई 2019)

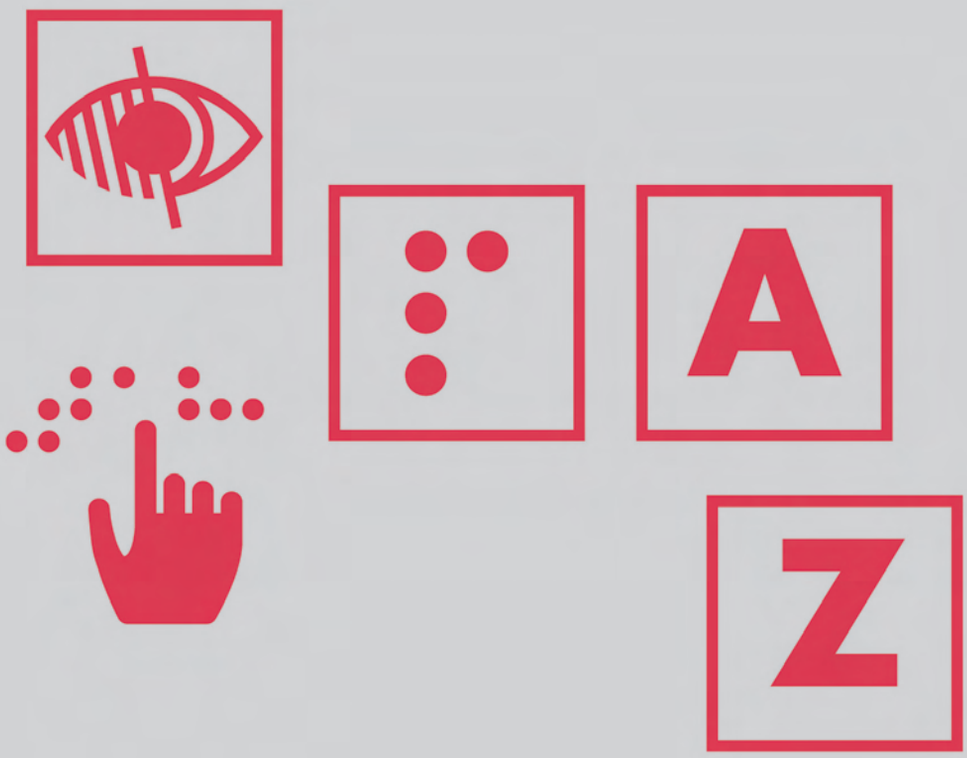

Objective 6

Enhancing the pool of sign language interpreters

संकेत भाषा द्विभाषियों के पूल को बढ़ाना

A sign language interpreter is one, who meets professional standards in the official sign language

संकेत भाषा द्विभाषियों वह होता है, जो सरकारी संकेत भाषा में पेशेवर मानकों को पूरा करता है।

Target 6.1: *Training and developing 200 additional sign language interpreters (July 2019).*

लक्ष्यः— 6.1 200 अतिरिक्त संकेत भाषा द्विभाषियों का प्रषिक्षण तथा विकास (जुलाई 2019)

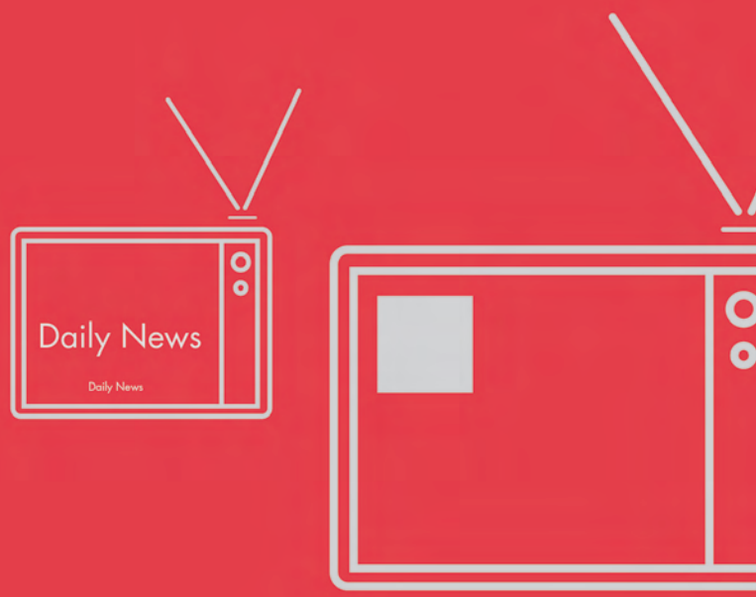

Objective 7

Enhancing the proportion of daily captioning and sign-language interpretation of public television news programmes

सार्वजनिक टेलिविजन समाचार कार्यक्रमों की दैनिक कैप्शनिंग और संकेत भाषा व्याख्या के अनुपात को बढ़ाना।

The proportion of public television news programmes that meet agreed upon standards of daily captioning and sign-language interpretation. Public television refers to programmes that are produced, funded or subsidized by the government

Target 7.1: *Developing and adoption of national standards on captioning and sign-language interpretation in consultation with National media authorities. (July 2016)*

Target 7.2: *Ensuring that 25% of all public television programmes aired by government channels meet these standards. (July 2019)*

सार्वजनिक टेलिविजन समाचार कार्यकम का अनुपात जो दैनिक कैप्शनिंग और संकेत भाषा व्याख्या के सहमत मानकों को पूरा करता हो। सार्वजनिक टेलिविजन से तात्पर्य है वे कार्यकम जिनका निर्माण निधियन अथवा सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

लक्ष्यः— 7.1 राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकारियों के परामर्ष से कैप्शनिंग और संकेत भाषा व्याख्या पर राष्ट्रीय मानकों का विकास तथा अपनाना। (जुलाई, 2016)

लक्ष्यः— 7.2 सरकारी चैनलों द्वारा दिखाए जा रहे सभी सार्वजनिक टेलिविजन कार्यक्रमों के 25 प्रतिशत को इन मानकों को पूरा करना सुनिश्चित कराना। (जुलाई, 2019)

Accessibility is about giving equal access to everyone. Without being able to access the facilities and services found in the communities, persons with disabilities will never be fully included. Accessible India Campaign will seek cooperation of all Central Government Departments/ Ministries and State Governments to seek "accessible police stations", "accessible hospitals", "accessible tourism", and "accessible digital India" etc.

सुगम्यता प्रत्येक व्यक्ति को समान पहुंच प्रदान करने के बारे में है। समुदाय में उपलब्ध सुविधाओं तथा सेवाओं तक पहुंच में सक्षम हुए बिना विकलांग व्यक्तियों को पूर्णतः शामिल नहीं किया जा सकता। सुगम्य भारत अभियान सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों से ''सुगम्य पुलिस स्टेशन'', ''सुगम्य अस्पताल'', ''सुगम्य पर्यटन'' तथा ''सुगम्य डिजिटल इंडिया'' आदि के क्षेत्र में सहयोग की अपेक्षा रखता है।

Department of Empowerment of Persons with Disabilities,
Ministry of Social Justice & Empowerment,
Government of India

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग